कार्यालय आदेश

आपका अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–1758/33–3–2020–31/2019 पंचायतीराज अनुभाग–3 दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गये हैं–

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत बड़ी संख्या में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण–II) में एक सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर रू0 03 लाख की धनराशि अनुमन्य है। कई जनपदों में इससे अधिक लागत के, बेहतर मानक के बड़े सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी किया जा रहा है। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की उच्च कोटि की गुणवत्ता कालान्तर में सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव की लागत को कम करने में मदद करेगी। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण पर प्रदेश में एक बड़ी धनराशि व्यय की जा रही है। ऐसे में सामुदायिक शौचालयों का नियमित प्रयोग हो और जिस उददेश्य के साथ इसका निर्माण किया जा रहा है उस उददेश्य की पूर्ति हो, इसके लिये यह आवश्यक है कि सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई और रख–रखाव की अच्छी व्यवस्था बनाये जाये।

2. सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई और रख–रखाव की सुगमता के साथ हो सके, इसके लिये यह आवश्यक है कि पर्याप्त जल की उपलब्धता वहां सुनिश्चित हो। अच्छा होगा कि वहां रनिंग वाटर टैप की व्यवस्था बनायी जा सके।

3. सामुदायिक शौचालय उन परिवारों द्वारा प्रयोग किये जा सकते हैं जो किन्हीं कारणवश निजी मकान में व्यक्तिगत शौचालय निर्मित नहीं करा पाये हैं, ऐसे व्यक्ति व परिवार जो फलोटिंग पॉपुलेशन के रूप में हैं एवं अन्य ग्रामीण जनता भी इनका प्रयोग कर सकती है।

4. अगर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है तो उसे महिलाओं के लिये आरक्षित किया जाना चाहिये अगर दो सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है तो ऐसी दशा में एक महिला व एक पुरूष के लिये आरक्षित किया जा सकता है। अगर किसी कारणवश एक ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है तो यह सुनिश्चित किया जाये कि पुरूष व महिला के लिये अलग–अलग प्रवेश व निकास द्वार हो। सामुदायिक शौचालय पर किये जा रहे निवेश को सार्थक बनाये रखने के लिये रख–रखाव की उचित व्यवस्था अत्यन्त ही आवश्यक है। इसी क्रम में यह निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं। एक सामुदायिक शौचालय के रख–रखाव के लिये निम्न व्यवस्था अनुमन्य होगी–

क्र0सं0	रख–रखाव एवं मरम्मत हेतु मद	कार्य विवरण	मासिक राशि
1	सफाई कर्मी/केयर टेकर	दिन में कम से कम दो बार सफाई	रूपये 6000.00 प्रतिमाह
2	मरम्मत	बिजली, प्लंबिंग, नल व टोंटी, मरम्मत	रूपये 500.00 प्रतिमाह
3	साफ–सफाई की सामग्री	झाड़ू, ब्रश, वाईपर, स्पंज, कपड़े पोछा, बाल्टी, मग आदि	1200.00 रूपये (6माह में एक बार)
4	निःसंक्रामक सामग्री	साबुन, वा३३३ण्ण३शिंग पाउडर, एयरफ्रेशनर, ग्लव्स, हारपिक, मास्क, दस्ताने एप्रेन।	रूपये 1000.00 प्रतिमाह
5	यूटिलिटी चार्जेज	पानी, बिजली, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट	रूपये 1000.00 प्रतिमाह
6	अन्य		रूपये 300.00 प्रतिमाह
	कुल व्यय प्रतिमाह		**9000.00**

5. सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव हेतु धनराशि की व्यवस्था 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जो स्वच्छता व सैनिटाइजेशन के लिये आरक्षित है उससे की जायेगी। उपरोक्त धनराशि की अनुपलब्धता व कमी की दशा में राज्य वित्त आयोग से धनराशि की व्यवस्था की जायेगी।

6. सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव का यह कार्य व दायित्व स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सुनिश्चित करने की पहली प्राथमिकता होगी। ग्राम पंचायतों में निकटस्थ स्थित स्वयं सहायता समूह से वार्ता कर उन्हें यह जिम्मेदारी ग्राम पंचायत द्वारा लिखित रूप से सौंपी जायेगी और सफाई कर्मी को तैनात करने से लेकर

सफाई आदि की व्यवस्था स्वयं सहायता समूह द्वारा की जायेगी। इस कार्य पर होने वाला पूरे वर्ष का व्यय अधिकतम 02 किश्तों में पहला प्रारम्भिक माह में एवं दूसरी किश्त 06 माह के बाद बराबर किश्तों में स्वयं सहायता समूह को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। यदि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह उपलब्ध नहीं हैं, तो ग्राम पंचायतों द्वारा सीधे सफाई कर्मचारी को रखते हुये शौचालय के रख–रखाव की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। महिला के लिये आरक्षित शौचालय में सफाई व केयर टेकर के रूप में महिला कर्मी तथा पुरूष के लिये आरक्षित शौचालय में इस कार्य के लिये पुरूष कर्मी तैनात किये जायेंगे।

7. स्वयं सहायता समूह एवं कर्मचारियों की भूमिकायें एवं जिम्मेदारियां:–

स्वयं सहायता समूह:

- ✓ संचालन एवं रख–रखाव और सुविधाओं का देखभाल।
- ✓ पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर नियम का प्रयोग करें।
- ✓ सफाई सामग्री और उपकरण उपलब्ध कराना।
- ✓ शिकायत रजिस्टर को बनाये रखना।

सफाई शेड्यूल:

दिन में दो बार

सफाई कर्मी की भूमिका:

- ✓ दिन–प्रतिदिन की सफाई गतिविधियों को संचालित तथा सामुदायिक शौचालयों को साफ रखना।
- ✓ स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये सफाई गतिविधियों के दौरान ग्लव्स व मास्क का प्रयोग करना।
- ✓ सामुदायिक शौचालय में चोरी को रोकना एवं परिसर को व्यवस्थित रखना।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–988/33–3–2020–31/2019 पंचायतीराज अनुभाग–3 दिनांक 22 मई 2020 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गये हैं–

- सामुदायिक शौचालय के परिचालन, अनुरक्षण एवं साफ–सफाई की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी।
- अनुसूचित जाति/जनजाति आबादी वाली ग्राम पंचायतें जहां सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता है वहां के लोगों की एक निगरानी समिति बनायी जाये जो शौचालय निर्माण एवं रख–रखाव का पर्यवेक्षण करें। यह समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि शौचालय निर्माण निर्धारित समय में हो।
- उक्त निगरानी समिति में न्यूनतम 03 व अधिकतम 05 सदस्य रखे जायेगें, जिसमें एक महिला सहित शेष सदस्य शौचालय का लाभ प्राप्त करने वाले समुदाय से होने चाहिये।
- यदि लाभन्वित होने वाले परिवारों में कोई दिव्यांग व्यक्ति हो तो समिति में अवश्य सम्मिलित किया जायेगा।
- रख–रखाव एवं दैनिक साफ–सफाई का अनुश्रवण निगरानी समिति द्वारा ग्राम पंचायत के सहयोग से किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त समस्त निर्देशों का पालन करते हुये ग्राम पंचायतों में निकटस्थ स्थित स्वयं सहायता समूह से वार्ता कर उन्हें यह जिम्मेदारी ग्राम पंचायत द्वारा लिखित रूप से सौंपी जाये और सफाई कर्मी को तैनात करने से लेकर, सफाई आदि की व्यवस्था स्वयं सहायता समूह द्वारा की जायेगी। इस कार्य पर होने वाला पूरे वर्ष का व्यय अधिकतम 02 किश्तों में पहला प्रारम्भिक माह में एवं दूसरी किश्त 06 माह के बाद बराबर किश्तों में स्वयं सहायता समूह को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। यदि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह उपलब्ध नहीं हैं, तो ग्राम पंचायतों द्वारा सीधे सफाई कर्मचारी को रखते हुये शौचालय के रख–रखाव की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। महिला के लिये आरक्षित शौचालय में सफाई व केयर टेकर के रूप में महिला कर्मी तथा पुरूष के लिये आरक्षित शौचालय में इस कार्य के लिये पुरूष कर्मी तैनात किये जायें। इस कार्य को समय के अन्तर्गत पूर्ण कर सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करें।

(श्रुति सिंह)
जिलाधिकारी
इटावा।

कार्यालय जिलाधिकारी इटावा

पत्र संख्या–205 /एस0बी0एम0ग्रामीण/सा0शौ0–रख–रखाव/2020–21 दिनांक 26/10/2020

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य विकास अधिकारी इटावा।
2. उप निदेशक (पं0), कानपुर मण्डल, कानपुर।
3. उपायुक्त, एन0आर0एल0एम0 इटावा को
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, इटावा।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद इटावा को इस निर्देश के साथ कि उक्त समस्त आदेशों का अनुपालन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
6. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0) जनपद इटावा को इस निर्देश के साथ कि उक्त समस्त आदेशों का अनुपालन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कराते हुये सूची जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
7. समस्त ग्राम प्रधान को निर्देशित किया जाता है उक्त समस्त निर्देशों का पालन कर निर्मित सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव हेतु आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत द्वारा लिखित रूप से सौंप कर सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करें।
8. समस्त ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया जाता है उक्त समस्त निर्देशों का पालन कर निर्मित सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव हेतु आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत द्वारा लिखित रूप से सौंप कर सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करें।

जिलाधिकारी
इटावा।